राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः स. 3–2 (11) स्था/अभि/17/ 221–80 दिनांकः–10.04.2018

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक 1966 व 1967 दिनांक 06.12.2016 से प्राप्त मुख्य सूची के अभ्यार्थियो को नियुक्ति दिये जाने के पश्चात् आयोग के पत्र एफ. 7 (25) भर्ती "क"/APO (Non-TSP) 2013–14/379 दिनांक 19.06.2017 को जारी आरक्षित सूची के अभिस्तावित अभ्यार्थियों को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर राजस्थान सेवा नियम 1978 के नियम 24 के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की जाती है।

राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के नियम 26 (1) में नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों का दो वर्ष का परीविक्षा काल होगा। परीविक्षा काल में वित्त विभाग की अधिसूचना एफ 15 (1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा इन्हें कुल रूपये 26500/– प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा। तत्पश्चात् दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार विधमान पे बैण्ड (02) 9300–34800 ग्रेड पे (12) 4200/– के तदनुरूप पे मेट्रिक्स लेवल सं0 L-11 देय होगी। नये भर्ती नियमों के अनुसार इनको अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

देय नियत पारिश्रमिक में से जीपीएफ एवं राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी तथा इन्हें किसी प्रकार का भत्ता यथा विशेष वेतन, महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, ऐडहोक बोनस आदि देय नहीं होगा। परीविक्षाधीन कालावधि में कार्य ग्रहणकाल एवं कार्यग्रहण करने के लिये यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्यग्रहण करने के पश्चात् राजकीय कार्य के लिए की गयी यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण होने पर मील भत्ता तथा आनुषांगिक प्रभार नियत पारिश्रमिक के आधार पर देय होगा। परीविक्षाधीन कालावधि में 15 आकस्मिक अवकाश देय होगा। यदि एक कलेण्डर वर्ष से कम सेवा की अवधि हो तो उसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश की गणना की जायेगी। नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारीगण उपस्थिति दिनांक से 10 दिवस तक संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीन व्यावहारिक प्रशिक्षणाधीन रहेंगे।

क्र.सं	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी मय पता	वर्ग	जन्म तिथि	पदस्थापन न्यायालय का नाम
1.	आर–66	श्री उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह, मकान न0–137, भगत सिंह नगर, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) 335041	ओबीसी	14.10.1987	ग्राम न्यायालय, झालरापाटन, जिला झालावाड
2.	आर–67	श्री अविनाश चांगल पुत्र श्री संतोष कुमार, ई–63, अग्रेसेन नगर, चुरु (राज.) 331001	ओबीसी	24.12.1984	सीजे(जेडी)जेएम, राशमी, जिला चितौडगढ
3.	आर–68	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री शिशपाल सिंह, वार्ड न0–01, पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला– हनुमानगढ (राज.) 335803	ओबीसी	25.06.1977	सीजे(जेडी)जेएम, डूँगला, जिला चितौडगढ

उपरोक्त सभी अभ्यार्थिगण 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से उनके नाम के सामने सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में उपस्थिति देंगे। उपस्थिति के समय मेडिकल ज्यूरिष्ट/सीएम एण्ड एच ओ से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपस्थिति मान्य होगी।

पदग्रहण के समय सभी अधिकारीगण सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र भी विहित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे कि वे सेवा सम्बन्धी किसी प्रकार की निरर्हता से ग्रसित नहीं है।

उपरोक्त नवनियुक्त अभ्यार्थीगण की सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं में पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

10/4/18

(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (ग्रुप–10) विभाग।
8. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान, मुख्यालय सहित।
9. सम्बन्धित नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी, (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
10. निजी पत्रावली / समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय/रक्षित पत्रावली।

10/4/18

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर